रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937
No. 81] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/ MAGHA 14 , 1937

## वित्त मंत्रालय
**(राजस्व विभाग)**

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

**सा.का. नि. 138(अ).**— केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहृण) अधिनियम, 1976 की धारा 26(2)(ग) के साथ पठित धारा 12(2) और स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 76(2)(ज) के साथ पठित धारा 68ढ(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहृण) अधिनियम 1976 (1976 का 13) और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "अपील अधिकरण" से मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68(ढ) के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहृण) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अधीन गठित समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहृण) अधिनियम, 1976 की धारा 12(2) और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68ढ की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

2. **नियुक्ति की पद्धति**- (1) अध्यक्ष पद की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: —

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का सचिव - सदस्य;

(ग) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग का सचिव - सदस्य;

(घ) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सचिव - सदस्य;

(2) चयन समिति के कोई तीन सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी है, समिति की बैठक के लिए कोरम होगा ।

(3) चयन समिति अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए अपनी ही प्रक्रिया तैयार कर सकेगी ।

(4) चयन समिति अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूर्विकता के क्रम में तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

4. **रिक्ति** - अध्यक्ष की रिक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से परिचालित की जाएगी और आवेदकों से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों के माध्यम से पूर्ण आवेदन भेजने के लिए कहा जाएगा ।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** - कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित न कर दिया जाए ।

[फा.सं. ए.12011/1/2015-एसओ (सीए)]

एस. भौमिक , अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE
## (Department of Finance)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2016

**G.S.R. 138(E).—** In exercise of the powers conferred Section 12(2) read with Sec 26(2)(c) of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, (SAFEMA), 1976, and Section 68N(2) read with Section 76(2)(h) of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure for Appointment of Chairman) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,__

(a) "Act" means the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) and Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);

(b) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 read with section 68N of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(c) "Chairman" means a person appointed as Chairman of an Appellate Tribunal under section 12(2) of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and sub-section (2) of section 68N of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(d) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Method of appointment.-** (1) For the purpose of appointment to the post of Chairman, there shall be a Selection Committee consisting of the following members, namely;

(a) The Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court as nominated by the Chief Justice of India - Chairperson

(b) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue – Member;

(c) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs – Member;
(d) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training – Member.
(2) Any three members of the Selection Committee including the Chairman shall form a quorum for the meeting of the Committee.
(3) The Selection Committee may devise its own procedure for selection and appointment of the Chairman.
(4) The Selection Committee shall recommend a panel of three names in order of priority for appointment of Chairman.
**4. Vacancy.-** The vacancy of Chairman shall be circulated through open advertisement and applicants shall be asked to forward complete application through Registrars of Supreme Court or High Court, as the case may be.
**5. Medical fitness.-** No person shall be appointed as a Chairman unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose.

[F.No.A.12011/1/2015-SO(CA)]

S. BHOWMICK**,**Under Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.